राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 948/2024

सुप्यार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 20.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवारी मंडल चैनपुरा, दांतारामगढ़, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पटवारी मंडल गारिण्डा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर वर्ष 2017 में जिला टोंक में हुई थी इसके बाद अपीलार्थी का जुलाई 2018 में पटवार मंडल राजपुरा, मालपुरा, टोंक में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी को पुनः जनवरी 2020 में पटवार मंडल चावंडिया, मालपुरा, टोंक स्थानान्तरण किया गया इसके पश्चात आदेश दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण टोंक से तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर में हुआ। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 04.01.2022 से कार्यरत है। अल्पावधि में अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है, अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच लम्बित नहीं है। आलौच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किए राजनैतिक आधार पर किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का लगातार भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया है।

3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल चैनपुरा, दांतारामगढ़, सीकर में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पटवारी के पद पर पटवारी मंडल चैनपुरा, दांतारामगढ़, सीकर में 04.01.2022 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के बाद आलौच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। इसमें किसी तरह की दुर्भावना या नियमों का उल्लघंन परीलक्षित नहीं हो रहा है। राजनैतिक आधार या किसी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आदेश जारी करना भी नहीं पाया जाता है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य